674वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9459/2022 M/s Pranavi Enterprises, Prop. Shri Pranya Kumar Singh R/o 354, 3rd Floor, Lekhraj Khajana, Indira Nagar, Lucknow (UP)-226016, Prior Environment Clearance for Pyrophyllite and Diaspore Mine in an area of 3.00 ha. (39330 TPA) (Khasra No. 79/2), Village - Kakaoni, Tehsil - Prithvipur, Dist. Niwari (MP)</u>

प्रकरण समिति की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रकरण के विवेचना के दौरान पाया गया कि :–

- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं लोड हो रही है, अतः आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी दिशा में आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अवैध कब्जा है । इसी प्रकार तहसीलदार के पत्र दिनांक 02/05/17 के अनुसार भी आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट एवं स्कूल प्राथमिक शाला लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। समिति चर्चा उपरांत अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक आबादी के संरक्षण हेतु योजना, कितने मकान हैं एवं आर एण्ड आर प्रस्तावित है तो उसकी योजना प्रस्तुत करें ।
- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड खनन् योजना अनुसार खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में स्थित आबादी के कारण खनन् कार्य ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से करेंगे, अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ–पत्र प्रस्तुत करें ।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–38 (a)Have you hired Consultant for preparing document में No एवं क्रमांक–38 (i)Reason for not Hiring the Consultant में It is draft stage but will be appointed before submitting of final copy. उल्लेख है, अतः सही स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–14.6 (a) Range of Water Table Pre-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 25 To 30 जबकि b)Range of Water Table Post-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 4 To 5 उल्लेखित है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फार्म–2 के सरल क्रमांक–35 (11)

में गहराई 08 मीटर दर्शाई गई है, अतः यदि पोस्ट मानसून वाटर लेवल 4 से 5 मीटर है तो ग्राउण्ड वाटर इंटरसेक्शन की संभवना होगी, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये।

- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–16.1 Waste Water Management(During Operation- Rainy Water उल्लेखित है, जिसमें खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले दूषित जल का विवरण देना चाहिए, अतः फार्म–2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–17 Solid Waste Generation/Management की जानकारी में एम.एस.डब्लू. की जानकारी का विवरण भी देना चाहिए, अतः फार्म–2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ वन मण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 22/03/22 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से कक्ष क्रमांक पी 181 से 180 मीटर दूरी पर स्थित है, अतः संभागीय समिति की अनुशंसा प्रस्तुत करें।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 27/09/2018 अनुसार खदान दिनांक 01/11/97 से स्वीकृत है तथा अनुमोदित खनन् योजना के बिंदु 3.3 (IV) अनुसार वर्ष 1992–93 से वर्ष 2016–17 तक 2885 मै.टन उत्पादन किया गया है, अतः स्पष्ट करें कि किस वर्ष तक उत्पादन किया गया है एवं किस वर्ष से उत्पादन बंद है एवं आज दिनांक तक किये गये खनन् कार्य का विवरण तथा संबंधित खनिज अधिकारी की असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 06/01/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की पूर्व की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को रखा गया, जिसमें समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनन् अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाये :–

1. खदान स्वीकृत क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में 20–30 मकान है। परियोजना प्रस्तावक सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर यह बतायें कि ये मकान लीज क्षेत्र के अंदर है या लीज क्षेत्र के बाहर है यदि ये मकान (20–30) लीज क्षेत्र के अंदर है तो THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, के तहत् सक्षम प्राधिकारी के स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण दें।
2. चूँकि आबादी क्षेत्र लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। अतः इसके संरक्षण योजना के तहत् नॉन माईनिंग एरिया छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करे।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को डिलिस्ट करने की अनुशंसा की गई थी । प्रकरण को सिया ने रिलिस्ट कर परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 02/09/23 को रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रणय कुमार सिंह और उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि इस प्रकरण के पूर्व पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर थें। मेरे द्वारा वर्तमान में श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) को अधिकृत किया गया है जिसकी सूचना सिया/सेक को ई–मेल के माध्यम से सूचित किया गया हैं।

समिति ने प्रकरण को परिक्षण उपरांत पाया कि यह प्रकरण समिति की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था एवं दोबारा समिति की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना में ब्लास्टिंग का प्रस्ताव दिया हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संवेदनशीलता

को दृष्टिगत रखते हुये नॉन ब्लास्टिंग प्रस्तावित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में खनन योजना में भी संशोधन किया जाना होगा, ऐसा निर्णय सिया की बैठक क्र0. 797 दिनांक 01/08/2023 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया है **''ऐसी अनुमोदित खनन योजना जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन–ब्लास्टिंग का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उन प्रकरणों में नॉन–ब्लास्टिंग संक्रिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें"**।

चूकि यह प्रकरण उक्त निर्देशों के पूर्व का था। अतः आज प्रस्तुतिकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का शपथ पत्र जारी किया गया। अतः पी.पी. को यह अवगत कराया गया की वह खनन योजना में भी संशोधन करवाये, तथा परिक्षण हेतु प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

2. <u>Case No 9781/2023 Shri Jat Hameed S/o Shri Jat Musa, R/o Village-Bhanni, District-Seoni (MP)-480661, Prior Environment Clearance for Bhanni Stone Quarry in an area of 3.440 ha. (45129 Cum per annum) (Khasra No. 694/2/Kha, 695/1, 694/3/ Kha) Village-Bhanni, Tehsil-Vyohari, District-Shahdol (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 694/2/Kha, 695/1, 694/3/ Kha) Village-Bhanni, Tehsil-Vyohari, District-Shahdol (MP) 3.440 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंशुमन सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स जियोग्रीन इंवायरो हाऊस, प्रा. लि. लखनऊ (उ.प्र) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल–प्रमाण पत्र क्रमांक 121 दिनांक 17/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी
भूमि पर आवंटित है तथा आवंटित क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है जिसका विवरण खनन् योजना में दर्ज नहीं है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान् 21/5/20 को स्वीकृत हुई तथा पिट पुराना है जो वर्ष 2018 से पूर्व का है। उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 24 एंव सरल क्र0. 131 पर दर्ज है। आवंटित क्षेत्र चारों ओर से आबादी से घिरा हुआ है, जिसमें आबादी दक्षिण–पश्चिम दिशा में 45 मीटर, दक्षिण दिशा में 85 मीटर, दक्षिण–पूर्व दिशा में 85 मीटर एवं पूर्व दिशा में 55 मीटर पर है। अगर एनजीटी के प्रकरण क्रमांक ओए 304/19 में पारित आदेश दिनांक 21/07/20 के अनुसार 200 मीटर का नॉन माईनिंग जोन छोड़ा जाता है तो उत्खनन् योग्य क्षेत्र नहीं बचता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में खनन् के दौरान

विस्फोटक का उपयोग नही किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर से किया जायेगा अतः आबादी से 100 मीटर का सेट बेक छोडना उचित होगा । अतः प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

1. आवंटित क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है जिसका विवरण खनन् योजना में दर्ज नहीं है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान् 21/5/20 को स्वीकृत हुई तथा पिट पुराना है जो वर्ष 2018 से पूर्व का है के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी।
2. आबादी के कारण (खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन्) 100 मीटर का सेट बेक छोडते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र में कई पेड़ लगे है अतः उनकी इंवेट्री तथा समिति द्वारा सुझाए अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को पिट के संबंध में अवगत कराया कि उनको खदान् 21/5/20 को स्वीकृत हुई तथा पिट पुराना है जो वर्ष 2018 से पूर्व का है। पिट का उल्लेख उत्खनि पट्टा की सैद्धांतिक स्वीकृति में भी उल्लेख है कि आवेदित क्षेत्र में पूर्व से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा खनिज पत्थर का उत्खनन् किया गया है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा आबादी के कारण (खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन्) 100 मीटर का सेट बेक छोडते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया जिसमें गैर खनन् क्षेत्र 1.994 हे. एवं खनन् योग्य क्षेत्र 1.46 ह. दर्शाया गया हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 45,129 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.34लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम भन्नी में ग्राम वासीयों हेतु चिकित्सा शिविर का आयोजन (प्रतिवर्ष 4 से 5 बार)	80,000
ग्राम भन्नी में चिकित्सा शिविर में परियोजना प्रस्तावक के द्वारा साल में ग्राम वासियों हेतु निःशुल्क दांतो का चेकअप, निःशुल्क ब्रश एवं पेस्ट की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था की जायेगी।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, सीताफल,चिरौल, खमरे, अन्य स्थानीय प्रजातियां। (फेंसिंग के साथ)	4000
2	परिवहन मार्ग में (न्युनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, जामुन, आम, सप्तर्णी उपलब्ध देशी प्रजातियां। (ट्री गार्ड के साथ)	500
3	ग्रामवासियो के वितरण हेतु	आम, आंवला, कटहल, जामुन, नीम, पीपल, अमरुद, पपीता, नींबुहर्रा, बहेड़ा, और अन्य फलदार वृक्ष	1000
4	ग्रामवासियो के वितरण हेतु आंगनबाड़ी में	नीम, पीपल, कदम, करंज अन्य उपलब्ध प्रजातियां	300
5	ग्राम वासियो के वितरण हेतु ग्रामपंचायत भवन में	नीम, पीपल, कदम, करंज, पुत्राजीवा अन्य उपलब्ध प्रजातियां	500
6	भन्नी गांव के शासकीय विद्यालय में	नीम, पीपल, कदम, करंज, अन्य उपलब्ध प्रजातियां	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम, छायाचित्र सॉफ्ट प्रति) एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
		कुल	6500

3. <u>प्रकरण क्रमांक 8993/2022 – श्री उपेन्द्र सिंह, मकान न. 752 जखोरा, तहसील एवं जिला ललितपुर (उ.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 443/1, रकबा 03.292 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–23,256 मी.^{3}, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 443/1, रकबा 3.292 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है।
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 554वीं दिनांक 23/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 15/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।
परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा आज दिनांक 23/06/23 को उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 60 मी. की दूरी जलाशय होना परिलक्षित होता है खदान के अंदर दक्षिणी ओर से एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है एंव खदान के उत्तर–पूर्वी दिशा से दक्षिण–पूर्वी दिशा मे 18 मी. की दूरी से हाई टेंशन लाईन निकल रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 60 मी. की दूरी जलाशय एंव खदान के अंदर दक्षिणी ओर प्राकृतिक नाला निकलने के कारण एंव उत्तर–पूर्वी दिशा से दक्षिण–पूर्वी दिशा में हाई टेंशन लाईन से 100 मी. तक का क्षेत्र नॉन–माइनिंग एरिया छोड़ा गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 1.772 हेक्टे. नॉन–माइनिंग एरिया एंव 1.52 हे. उपलब्ध माइनिंग क्षेत्र होगा एंव दक्षिण दिशा मे सेटबेक खदान स्थल में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 03 पेड़ लगे है तथा कोई भी पेड़ काटा नही जावेंगा ।

संबंधित खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 42 सरल क्र0. 12 पर नाम दर्ज है। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, संड़क रखरखाव, मंदिर में वाऊड्रीवाल बनवाने इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । गूगल इमेज में इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 23,256 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 07.48 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.02 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

क्र. सं	गतिविधियाँ	प्रदेय	दर	कुल लागत (रु.)
	ग्राम लहदपुर मध्यमिक विद्यालय लहदपुर में सोलर पैनल का अधिष्ठापन	–	–	40,000
	ग्राम लाहदपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच उपकरण एवं शुगर जांच किट का वितरण	रक्तदाबमापी – 10 थर्मामीटर – 12 स्ट्रेचर– 5 स्टेथोस्कोप– 3 शुगर जांच किट–5	रु. / रु. 3000 प्रत्येक रु. / रु. 100 प्रत्येक रु. / रु. 2500 प्रत्येक रु. / रु. 2100 प्रत्येक रु. / रु. 2500 प्रत्येक	30,000 1200 12,500 6,300 12,500
			योग	**1,02,500**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3950 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिसो आदि।	1000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि।	725
3.	सेट–बेक	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि।	1500
4.	ग्रामीणों को पौधों का वितरण	आम, पीपल, कचनार, अमरूद, निम्बू, कटहल, इमली, सीताफल आदि।	725
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम, छायाचित्र सॉफ्ट प्रति) एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
		योग	3950

सिया की बैठक क्रमांक 796 दिनांक 18/07/23 के अनुसार प्रकरण सेक को पुनः परिक्षण हेतु भेजा गया हैं। जिसमें उल्लेख है कि ***खदान के अंदर से एक प्राकृतिक नाला भी परिलक्षित है। मा0. एन.जी.टी. के ओ.ए. न0. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार खनन प्रक्रिया मे नॉन ब्लास्टिंग के लिये वांछित दूरी 100 मी. और ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार जलाशय से निर्धारित 200 मी. एवं प्राकृतिक नालें से दोनों ओर 50–50 मी. दूरी छोडने के पश्चात खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।***

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण समिति ने में परीक्षण उपरांत निर्णय लिया कि खदान के पास स्थित विद्यमान जलाशय का विस्तार होगा जिससे की जल भराव बडेगा, उससे आसपास के नालों के उपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा, जल संग्रहण से सतही एवं भू–जल में भी वृद्धि होगी साथ ही साथ कृषि कार्य में भी जल की उपलब्धता बढेगी। अतः समिति ने चर्चा उपरांत पूर्व में सेक की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 की गई पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती हैं।

4. <u>Case No 10220/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Amilwan Sand Quarry in an area of 2.90 ha. (27,402 cum per year) (Khasra No. 303), Village-Amilwan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ए.के.राय भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Amilwan Sand Quarry in an area of 2.90 ha. (27,402 cum per year) (Khasra No. 303), Village-Amilwan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [431418]	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 303, एरिया – 2.90 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– रजमिलान, तह.– सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	

रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	यह खदान लौआ नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 408 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है एवं 296 मी. पर स्टाप डेम हैं। भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.53 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.37 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 27402 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 27402 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 837 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.90 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 837 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 837 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 155 मी. की दूरी पर 03 मकान तथ 225 मी. की दूरी पर आबादी स्थित है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत अमिलवान जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 06/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्रमांक – 19 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **34,800** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **27,402** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–27402 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.01 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.33 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.76 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आँगनवाडी केन्द्र चितरबईखुर्द ग्राम चितरवईखुर्द, ग्राम पंचायत अमिलवान में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश । अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना मईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	26,000
पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम-अमरा, ग्राम पंचायत अमिलवान में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	50,000
योग	**76,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3480 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम अमिलवान के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3480

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण

क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**3480**

5. **<u>Case No 10217/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Jaghat Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. - 53), Village-Jaghat, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ए.के.राय भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Jaghat Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. - 53), Village-Jaghat, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431676].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 53, एरिया–5.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– जगट, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति /LOI details.	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक	यह खदान गोपद नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 3.0 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	

आवश्यक हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 826 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 826 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 826 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कुन्दवार जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26/01/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्रमांक – 33 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– 90,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 90,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–90,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.20 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.33 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय हाई स्कूल कुन्दवार, ग्राम पंचायत जगहत में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिग ऑफिसर को दी जावेगी ।	1,25,000
शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगहत, ग्राम पंचायत जगहत में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	50,000
आँगनवाडी केन्द्र जगहत, ग्राम पंचायत जगहत में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	30,000
ऑगनवाडी केन्द्र कुन्दवार, बैगाटोला, ग्राम पंचायत जगहत में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	28,000
योग	**2,33,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम जगहत के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	6000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय			

पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
	योग 3480

6. <u>Case No 10218/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kari Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48,000 cum per year) (Khasra No. 91), Village-Kari, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ए.के.राय भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kari Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48,000 cum per year) (Khasra No. 91), Village-Kari, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431694].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 91, एरिया–4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– कारी, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति /LOI details.	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान महान नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा	

का नाम	निकल रही है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 1.6 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.40 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 823 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 823 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 823 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कारी जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 20/09/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–123 के सरल क्रमांक – 11 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **72,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **72,000** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–48,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.67 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.27 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक विद्यालय–कारी, ग्राम पंचायत कारी में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु–प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिग ऑफिसर को दी जावेगी।	50,000
ऑगनवाडी केन्द्र–कारी, ग्राम पंचायत कारी में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु–प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	27,000
शासकीय प्राथमिक विद्यालय–गढवा, ग्राम पंचायत कारी में। अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में |प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु–प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिग ऑफिसर को दी जावेगी।	50,000
योग	**1,27,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**ग्राम कारी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ**	4800
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय			

पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

7. <u>Case No 10212/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rampa Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (43,382 cum per year) (Khasra No. -1030), Village-Rampa, Tehsil-Mada, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ए.के.राय भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rampa Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (43,382 cum per year) (Khasra No. -1030), Village-Rampa, Tehsil-Mada, District-Singrauli (MP) [431727].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 1030, एरिया–4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– राम्पा, तह.– माड़ा, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति /LOI details.	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान मयार नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा	

का नाम एवं प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पश्चिमी ओर से निकल रही है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 02.60 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 01.40 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 43,382 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 43,382 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 836 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 836 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 836 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत देव भुडकुड जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–126 के सरल क्रमांक – 59 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **48,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **43,382** .घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–**43,382** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.13 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.10 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आँगनवाडी केन्द्र – भुडकुड, ग्राम पंचायत रम्पा में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिग ऑफिसर को दी जावेगी।	26,000
शासकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत रम्पा में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	50,000
ई. जी. एस . विद्यालय-रम्पा, ग्राम पंचायत रम्पा में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भु-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	40,000
योग	**1,16,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	ग्राम रम्पा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

8. <u>Case No 10231/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tingudi Sand Deposit in an area of 1.00 ha. (18,000 cum per year) (Khasra No. 84), Village-Tinguri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ए.के.राय भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tingudi Sand Deposit in an area of 1.00 ha. (18,000 cum per year) (Khasra No. 84), Village-Tinguri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431732].	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 84, एरिया – 1.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – तिनगुड़ी, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान महान नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा	

का नाम एवं प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	निकल रही है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 0.40 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.60 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 821 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 821 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 821 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 100 मी. की दूरी पर 04 मकान स्थित है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत तिनगुड़ी, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17/2 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्रमांक – 18 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **18,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **18,000** .घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–**18,000** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.34 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.52 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आँगनवाडी केन्द्र–तिनगुडी, ग्राम पंचायत तिनगुडी में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु–प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	30,000
आँगनवाडी केन्द्र–कुकरॉव, ग्राम कुकरांव ग्राम पंचायत तिनगुडी में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भु–प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जावेगी ।	22,000
योग	**52,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम तिनगुड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की

सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

9. <u>Case No 10219/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rajmilan Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (28548 cum per year) (Khasra No. - 1706), Village-Rajmilan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ए.के.राय भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rajmilan Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (28548 cum per year) (Khasra No. - 1706), Village-Rajmilan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [431758]	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 1706, एरिया – 2.50 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– रजमिलान, तह.– सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति /LOI details.	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	यह खदान गर्रा नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा हुआ है एवं 535 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है, तथा दक्षिण दिशा से मायर नदी आकर खदान के पूर्वी भाग में मिल रहीं है। आशिंक भाग पानी डूबा एवं नदी के संगंम होने कारण 1.08 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.42 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 28548 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 28548 घनमीटर/वर्ष हेतु	

	स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 833 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.50 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 833 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 833 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत रैला जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्रमांक – 17 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **30,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **28,548** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–**28,548** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.69 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.91 लाख प्रति वर्ष ।

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.79 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय पूर्व माध्यामिक विद्यालय रजमिलान ग्राम पंचायत रजमिलान में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि प्रश्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ को भु–प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जायेगी।	79,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम रजमिलान के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

10. <u>Case No 10210/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Jahur Sand Deposit in an area of 1.36 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 205, 136), Village-Jahur, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए, प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	205 & 136 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.36 ha.
स्थल	ग्राम JAHUR तसहील Pansemal जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान सुसरी नदी में मियन्डर पर स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी के अंदर मानव बसाहट, गढीफल्या, पटेलफल्या तथा शासकीय मा. स्कूल पटेलफल्या जाहूर स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	–	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–38 के सरल क्रमांक – 19 पर दर्ज है पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–503 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 घनमीटर/वर्ष	

	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में दो भागों में दिखाया गया जबकि परिवेश पोर्टल पर खदान क्षेत्र का एक ही भाग अपलोड किया गया हैं। अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र के को–आर्डिनेट पुनरीक्षित कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान की गूगल अर्थ ईमेज समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके पुर्नभरण एवं सतत् बहाव तथा नदी तट का संरक्षण भी नहीं। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।

11. <u>Case No 10216/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Jahur Sand Deposit in an area of 1.36 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 205, 136), Village-Jahur, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	245 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectares.
स्थल	ग्राम Pati तसहील Pati जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	

रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान गोई नदी में स्थित है, खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है एवं खदान क्षेत्र में दक्षिण दिशा से आकर एक नाला मिल रहा हैं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	–
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–37 के सरल क्रमांक – 02 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–2560 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी

नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।

- ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

12. <u>Case No 10214/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Padla Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Padala, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectares.
स्थल	ग्राम PADALA तसहील Rajpur जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान डेब नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, एवं खदान के पश्चिम दिशा में एक रोड ब्रिज खदान से लगा हुआ हैं। खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में आकर एक नाला खदान में मिल रहा हैं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– रेत–800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 27/06/23 अनुसार बाजड आंगनवाड़ी केन्द्र 250	

	मीटर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय 50 मीटर, आरोग्य केन्द्र 250 मीटर पर है, शेष अन्य 500 मीटर पर नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–37 के सरल क्रमांक – 09 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–810 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।
- ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी प्रस्तुत करें ।

13. <u>Case No 10215/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Koydiya Sand Deposit in an area of 3.023 ha. (800 cum per year) (Khasra No. 47), Village-Koyadiya, Tehsil-Anjad, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	47 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.023 hectares.

(सरकारी / निजी)		
स्थल	ग्राम Koyadiya तसहील Anjad जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24 / 05 / 23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1 / बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज	यह खदान सोसाड नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, एवं 136 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–800 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–800 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 27 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 27 / 06 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 27 / 06 / 23 अनुसार लगीाग 100 से 50 मीटर की दूरी पर रहवासी मकान तथा ऑगनवाड़ी केन्द्र है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	-	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–38 के सरल क्रमांक – 13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–814 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 800 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।	

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में तीन भागों में दिखाया गया जबकि परिवेश पोर्टल पर खदान क्षेत्र का एक ही भाग अपलोड किया गया हैं। अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र के को–आर्डिनेट पुनरीक्षित कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान की गूगल अर्थ ईमेज समिति के समक्ष पुनरीक्षित प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो

उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा, साथ ही ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें उसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

14. <u>Case No 10213/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Semli (Khajpur) Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 489), Village-Semli, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	489 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 ha.
स्थल	ग्राम SEMLI तसहील Pati जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान गोई नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	–
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–37 के सरल क्रमांक –04 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–1997 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में के आधार पर प्रस्तावित के खदान की के.एम.एल ईमेज प्रकरण क्रमांक 10216 खदान के साथ ओव्हर लेप होना परिलक्षित है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से खदान के प्रमाणित अक्षांश–देशांस प्रस्तुत करें, जिससे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी प्रस्तुत करें ।

15. <u>Case No 10211/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Mujala (Bhulgaon) Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (700 cum per year) (Khasra No. 158/1), Village- Mujala Bhujala, Tehsil-Niwali, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block

परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	158/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 ha.
स्थल	ग्राम BHUJALA तसहील Niwali जिला Barwani (म.प्र.) (परियोजना प्रस्तावक आवेदन ग्राम का नाम BHUJALA उल्लेखित किया है जबकि लीज आर्डन अनुसार Mujla है)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान गोई नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 344 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–700 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी के अंदर 12 मकान कच्चे एवं अर्द्ध पक्के में मानव मानव बसाहट स्थित है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	–	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–38 के सरल क्रमांक –21 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–706 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।
- साथ ही ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी प्रस्तुत करें ।

16. <u>Case No 9356/2022 Shri Dinesh Gupta, F-88/35, Tulsi Nagar, Dist. Bhopal, MP - 462003, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.10 ha. (40000 Cum per annum) (Khasra No. 148), Village - Rampurghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DINESH GUPTA, Lessee, F 88/35 TULSI NAGAR BHOPAL (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	148 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.1 hectare.
स्थल	Village - Rampurghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 15772 दिनांक 26/12/20 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 603वीं बैठक दिनांक 04/11/22 को उत्पादन क्षमता पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–14 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 17/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें	

	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.943 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 17/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 17/08/22 अनुसार 500 मीटर के अंदर नाला है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महोवा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 05/06/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में रोजगाार, शिक्षा के लिये शिविर का आयोजन, वृक्षारोपण इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1841 दिनांक 31/08/22 अनुसार उक्त खदान को नवीन डी.एस.आर. में जोड़ा जा रहा है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण का परिक्षण खनन् योजना में दिये गये कोर्डिनेट्स के आधार पर किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के 110 मीटर, 130 मीटर 175 मीटर, 250 मीटर पर जो कच्चे घर परिलक्षित हो रहे है उक्त घर केवल खेतो के रख रखाव हेतु आसपास के लोगो द्वारा बनाये गए है जो की किसी भीतरी के के आवास हेतु उपयोग में नहीं लाये जाते है एवं यह चारा भूसा रखने की लिए उपयोग में लाये जाते है जिनका स्पष्टीकरण उनके द्वारा प्रस्तुतको जियोटेग फोटोग्राफ्स के माध्यम से किया गया । इसके अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में सघन वृक्षा रोपण किया जावेगा। मानवीय बसाहट मूल रूप से 250 मीटर कि दूरी पर स्थित है खनन क्षेत्र के चारोतरफ तीन पंक्तियो में वृक्षारोपण किया जायेगा अतः खनन प्रक्रिया से तालाब को कोई हानि नहीं होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की माइन लीज क्षेत्र में जो रास्ता दिखा

रहा है वो असल में कोई रास्ता नहीं है और इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योकि यह किसी भी गाँव से जुड़ता नहीं रही है और कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–40,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.47 .लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम महयाबा तथा ग्राम रामपुरघोषी के आंगनवाड़ी में ग्राम पंचायत के माध्यम से बर्तन और जरुरत की वस्तुए उपलब्ध करवाई जावेगी ।	70,000/
ग्राम महयाबा तथा ग्राम रामपुर घोषी में पशुस्वास्थ के लिए पशुचिकित्सा अधिकारी के परामर्श सेटीकाकरण के लिए ग्राम पंचायत में योगदान दिया जावेगा।	30,000/-
शासकीय माध्यमिक शाला रामपुरघोषी में एक कंप्यूटर साथ में कंप्यूटर टेबल और प्रिंटर उपलब्ध करवाया जावेगा ।	40,000/-
कुल	1,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2560 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदिएव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया	500
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज,चिरोल आदि एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया (पूर्ण सुरक्षा सहित)	170
3	शासकीय माध्यमिक शाला गौहानी गांव में पौधारोपण	पुत्रंजीवामोलश्री,सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एव ंअन्य	30

		स्थानीय प्रजातिया (पूर्ण सुरक्षा सहित)	
4	महयाबा गांव मे ंस्थित पंचायत भवन में पौधारोपण	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया (पूर्ण सुरक्षा सहित)	60
5	आसपास के ग्रामीणोंकोवितरण के लिए	*स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, हाइब्रिड मुनगा,अचार* एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया	1800
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम, छायाचित्र सॉफ्ट प्रति) एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
		कुल	2560

17. <u>Case No 9466/2022 M/s Hira Marble, Bramhpuri Mohalla, Old city Kishangarh, District Ajmer (RJ)-305802, Prior Environment Clearance for Marble Mine in an area of 4.00 ha. (Marble: - 4,000 Cu.mt/Year and Salable Waste -16,000 Cu.mt/Year) (Khasra. No.- 539/5, 539/6, 580/2, 565), Village - Papredi, Tehsil - Biohari, Dist. Shahdol (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 613 वीं दिनांक 22/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

Form – II Details				
S N	**Projects Details**			**Remarks**
1.	Name of the project / Company / Organisation	Prior Environment Clearance for Marble Mine in an area of 4.00 ha. (4,000 Cum per year) (Khasra. No.- 539/5, 539/6, 580/2, 565), Village - Papredi, Tehsil - Biohari, Dist. Shahdol (MP) [403854]		
2.	Name of the Applicant and Address.	M/s Hira Marble, Bramhpuri Mohalla, Old city Kishangarh, District Ajmer (RJ)-305802, E-mail -msheeramarble@gmail.com, Mobile - 9928010138.		
3.	Proposal No	SIA/MP/MIN/436817/2023.		
4.	EC Status (Fresh/ Exp.)	Fresh		
5.	ToR	ToR letter No. 2618/MPSEIAA/23 date 30/01/2023.		
6.	Khasra No. / Lease Area	Khasra No. - 539/5, 539/6,	**4.00 Ha.**	**Pvt. Land.**

	(Govt. or Private)	580/2, 565		(Agrement Copy Attached).
7.	Location of Project	Khasra No. 539/5, 539/6, 580/2, 565		
8.	Production Quantity in m3/year	Marble: - 4,000 Cu.mt/Year and Salable Waste -16,000 Cu.mt/Year.		
9.	Public Hearing date	25/05/2023.		
10.	CGWA / G S NOC	Undertaking : खदान संचालन हेतु आवश्यक जलापूर्ति पंचायत से की जावेगी।		
	Documentary Details			
11.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. - 960 date 17/11/22.		Ok. 2 more mine Total Area – 13.40 ha.
12.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Lease Order No. 11804 dt. 05/09/2022.		Ok
13.	Tehsildar Certificate	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. - 960 date 17/11/22.		Ok
14.	DFO NOC	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. - 960 date 17/11/22.		Ok
15.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Gram Panchayat letter No. 3/1 date 23/11/20.		Ok
16.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Production Capacity: Max. 4,000 Cu.mt/Year Marble and Max.16,000 Cu.mt/Year Salable Waste Area- 4.00 Ha.		Ok –Mine Plan page no.-25.
17.	Env. Consultant: Shri Ram Raghav Green Circle Inc, Vadodara (Gujrat) Valid up to 26/01/2024.			
18.	**DSR :** प्रभारी अधिकारी(खनिज शाखा) जिला–शहड़ोल द्वारा पत्र क्र0. 967 दिनांक 17/11/22 द्वारा उल्लेख किया है, कि वर्तमान में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है। उक्त प्रकरण में सैंद्वान्तिक मंजुरी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् जारी हुई है जिससे कि उक्त खनिज मार्बल उत्खनिपट्टा को डी.एस.आर. में शामिल नही किया गया है। उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे सम्मिलित कर लिया जायेगा।			

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि हमारी खदान निजी भूमि पर स्वीकृत की गई है, हमारे द्वारा 4.946 क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया था जिसमे से हमें 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनि पट्टा स्वीकृत हुआ है इस शेष क्षेत्र में एक झोपड़ी स्थित है, जो भूमि स्वामी की स्वयं की खसरा नंबर 565 के अंतर्गत आती है। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा इस संरचना का उपयोग अपने साइट कार्यालय या मशीनरी और उपकरणों के भंडारण के रूप में करेंगे

परियोजना प्रस्तावक ने बताया की अस्थायीध्टीन शेड संरचना –44 मी दक्षिण पर स्थित हैं, उक्त शेड से 100 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा क्योकि खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में अस्थायी डंपिंग क्षेत्र प्रस्तावित है अतः उस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जावेगा जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना के उत्पादन योजना में दर्शाया गया है। यह एक मार्बल की खदान है, इसलिए खदान क्षेत्र में कोई ब्लास्टिंग गतिविधियां प्रस्तावित नहीं है,

पश्चिम दिशा में 76 मीं पर एक संरचना हैं, यह संरचित हमारी दूसरी खदान का हिस्सा है जो की निजी भूमि पर ही स्वीकृत है एवं उक्त संरचना को हम साइट ऑफिस अथवा स्टोर रूम के रूप में उपयोग करेंगे

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र के अंदर 22 पेड है जिनमें से 10 पेड सुरक्षित रखे जायेगें तथा 12 काटे जाने का प्रस्ताव है, इसके एवज में 120 पेड अतिरिक्त लगाये जाना प्रस्तावित है।

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया की बगल की खदान जिनकी पर्यावरण स्वीकृति हुई हैं उनमें फेन्सिग आदि कार्य नहीं हुआ हैं, परन्तु खनन् कार्य परिलक्षित हो रहा हैं। इस खदान के परियोजना प्रस्तावक मे0 श्रीमार्बल है। गूगल ईमेज पर बारिकी से खदान क्षेत्र का ईनलॉर्ज करके परिक्षण किया गया, जिसमें कोई भी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो जैसे वृक्षारोपण/फन्सिंग/ गारलैण्ड ड्रेन आदि प्रमुख गतिविधियॉ नहीं पाइ गई परन्तु खनन् कार्य स्पष्ट रूप से पाया गया। अतः यह उदाहरण के रूप में कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती हैं।

प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में रोजगार, धूल की समस्या, खेती के लिये पानी एवं गांव के हीत में सामाजिक कार्य,वृक्षा रोपण, पानी व्यवस्था इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Marble: - 4,000 Cu.mt/Year and Salable Waste -16,000 Cu.mt/Year ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.18 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.84लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी एक वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)

पिपरेड़ीग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 बी.पी मशीन एवं 2 शुगर टेस्टिंग मशीन एवं पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु अन्य सामग्री प्रदान की जावेगी ।	50,000
पिपरेड़ीग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 बी.पी मशीन एवं 2 शुगर टेस्टिंग मशीन एवं पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु अन्य सामग्री प्रदान की जावेगी ।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, महुआकरंज एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया	1100
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसः–करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्बएव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
3	ग्राममेंस्थितसामुदायिकभवनप रिसरमें	कदम्ब, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर,मोलश्री, पाकर एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
4	आसपास के ग्रामीणोंकोवितरण के लिए	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल,हाइब्रिडमुनगा, अचार एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया	3500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम, छायाचित्र सॉफ्ट प्रति) एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
		कुल	5000

18. Case No 9475/2022 M/s Hira Marble, Bramhpuri Mohalla, Old city Kishangarh, District Ajmer (RJ)-305802, Prior Environment Clearance for Marble Quarry in an area of 4.00 ha. (Marble: - 4,000 Cu.mt/Year and Salable Waste -16,000 Cu.mt/Year) (Khasra No. - 537/2, 539/2, 539/3, 539/4), Village - Papredi, Tehsil - Beohari, Dist. Shahdol (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 613 वीं दिनांक 22/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

Form – II Details				
S N	**Projects Details**			**Remarks**
1.	Name of the project / Company / Organisation	Prior Environment Clearance for Marble Quarry in an area of 4.00 ha. (4, 000 Cum per annum) (Khasra No. - 537/2, 539/2, 539/3, 539/4), Village - Papredi, Tehsil - Beohari, Dist. Shahdol (MP) [403954]		
2.	Name of the Applicant and Address.	M/s Hira Marble, Bramhpuri Mohalla, Old City Kishangarh Distrct Ajmer, (RJ)-305802, E-mail - mesheeramarble@gmail.com, Mobile - 9928010138		
3.	Proposal No	SIA/MP/MIN/ 403954/2022.		
4.	EC Status (Fresh/ Exp.)	Fresh		
5.	ToR	ToR letter No. 2612/MPSEIAA/23 date 30/01/2023.		
6.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)	Khasra No. - 537/2, 539/2, 539/3, 539/4,	**4.00 Ha.**	Pvt. Land. (Agrement Copy Attached).
7.	Location of Project	Khasra No. -537/2, 539/2, 539/3, 539/4.		
8.	Production Quantity in m3/year	Production Capacity: Max. 4,000 Cu.mt/Year Marble and Max.16,000 Cu.mt/Year Salable Waste Area- 4.00 Ha.		Pg.
9.	Estimated project cost	Rs ~25 Lacs.		
10.	Public Hearingb	25/05/2023.		
Documentary Details				
11.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. - 961 date 17/11/22.		Ok. 2 more mine Total Area – 13.40 ha.
12.	Lease Sanction	Lease Order No. 11807 dt. 05/09/2022.		Ok

	Order/ Agreement / LoI		
13.	Tehsildar Certificate	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. - 961 date 17/11/22.	Ok
14.	DFO NOC	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. - 961 date 17/11/22.	Ok
15.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Gram Panchayat letter No. 3/2 date 23/11/20.	Ok
16.	Env. Consultant: Shri Ram Raghav, M/s Green Circle Inc., Vadodara (Gujrat) Valid up to 26/01/2024.		
17.	**DSR :** प्रभारी अधिकारी(खनिज शाखा) जिला–शहड़ोल द्वारा पत्र क्र0. 966 दिनांक 17/11/22 द्वारा उल्लेख किया है, कि वर्तमान में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है। उक्त प्रकरण में सैंद्वातिक मंजुरी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् जारी हुई है जिससे कि उक्त खनिज मार्बल उत्खनिपट्टा को डी.एस.आर. में शामिल नही किया गया है। उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे सम्मिलित कर लिया जायेगा।		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पट्टे उत्तर पश्चिम दिशा में एक मकान स्थित हैं, घर स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही आ रहा है जो की भूमि स्वामी का ही है अतः इसे प्रस्तावक द्वारा साइट ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जावेगा एवं खदान के दक्षिण में एक अन्य मकान सिथत हैं, उक्त घर स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही आ रहा है जो की भूमि स्वामी का ही है अतः इसे प्रस्तावक द्वारा खदान से सम्बंधित वस्तुओ जैसे मशीनरी आदि के रखने के लिए उपयोग में किया जावेगा। एक कच्चा टिन शेड अस्थायी संरचना–60 मीटर दक्षिण पश्चिम पर हैं। यह संरचना पूरी तरह से कृषि से संबंधित मशीनरी और उपकरणों के भंडारण के रखने हेतु इस्तेमाल की जाती है एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया की उक्त शेड से 100 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा क्यो कि की खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में अस्थायी डंपिंग क्षेत्र प्रस्तावित है अतः उस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जावेगा जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना के उत्पादन योजना में दर्शाया गया है। एक पृथक घर– 92 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा एवं 135 मीं दक्षिण दिशा में हैं, इस संरचना से 100 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा और क्षेत्र को डंपिंग जोन के रूप में उपयोग किया जाएगा, चूंकि यह एक मार्बल की खदानहै, इसलिए खदान क्षेत्र में कोई ब्लास्टिंग गतिविधियां प्रस्तावित नहीं है।

प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में रोजगार, धूल की समस्या, खेती के लिये पानी एवं गांव के हीत में सामाजिक कार्य,वृक्षा रोपण, पानी व्यवस्था इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं

स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Marble: - 4,000 Cu.mt/Year and Salable Waste -16,000 Cu.mt/Year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.83लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पिपरेड़ी ग्राम के लोगो के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वास्थ शिविर का आयोजन साल में 2 बार करवाया जावेगा। पिपरेड़ी ग्राम के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल या हेडमास्टर के परामर्श स विज्ञान सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	50,000
पिपरेड़ी ग्राम के लोगो के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वास्थ शिविर का आयोजन साल में 2 बार करवाया जावेगा। पिपरेड़ी ग्राम के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल या हेडमास्टर के परामर्श स`विज्ञान सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सम्पूर्ण रोपण प्रथम वर्ष में तथा मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, महुआकरंज एव अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1100
2	शासकीय उच्च माध्यमिक शाला भन्नी में पौधारोपण	कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर,मोलश्री, पाखड़ अन्य एव अन्य स्थानीय प्रजातिया।	50
3	ग्राम में स्थित पंचायत भवन में पौधा रोपण	कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर,मोलश्री, पाखड़ अन्य एव अन्य स्थानीय प्रजातिया। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	50
4	शासकीय उच्च माध्यमिक शाला करोदी गांव में पौधारोपण	कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर,मोलश्री, पाखड़ अन्य एव अन्य स्थानीय	200

		प्रजातिया	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम, छायाचित्र सॉफ्ट प्रति) एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
			कुल 5000

19. **Case No 10381/2023 Shri Santu Lal Saini, Director, M/s Foresta Enviro Tech Private Limited, 436, 4th Floor, Electronic Market, Gopalpura Bypass, District-Jaipur (Rj.)-303006, Prior Environment Clearance for Talgaon Stone and M-Sand Quarry in an area of 3.90 ha. (Stone-80000, M-Sand-80000) (Khasra No. 455P), Village- Taigaon, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP)**

प्रकरण आज सेक की 668वीं बैठक दिनांक 02/9/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

20. **Case No 10365/2023 Shri Vimlesh Dwivedi, Owner, Sitaram Colony, Behind Kali Mata Mandir, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Khairahi Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 02P), Village-Khairahi, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विमलेश द्विवेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VIMLESH DWIVEDI, OWNER, Sitaram Colony, Behind Kali Mata Mandir, Chhatarpur, District Chhatarpur (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	02 (Part) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village Khairahi, Tehsil Chandla, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक	

	17249–58 दिनांक 16/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–14 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर (गिट्टी)–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर (गिट्टी)–30,000 घनमीटर/ वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 899 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 899 दिनांक 28/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 899 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हथौहा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 03/10/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला 168 मी.
	पूर्व दिशा– नहर 367 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 899 दिनांक 28/04/23 अनुसार उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

	सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. खदान क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला 168 मी. पर हैं एवं पूर्व दिशा– नहर 367 मी. की दूरी पर स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

21. <u>Case No 10446/2023 Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007 Prior Environment Clearance for Proposed construction of Residential Building Project Under PMAY "Satpura Parisar" in an area of 6.59 ha. (10,8015 Sq.m.) (Khasra No. 242/1, 242/2/1, 424/236/3), Village-Barawagrada, Buraniya, Devdharam, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP) [419718] Total Built up Area – 10,8015 Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Residential Building Project Under PMAY "Satpura Parisar" in an area of 6.59 ha. (10,8015 Sq.m.) (Khasra No. 242/1, 242/2/1, 424/236/3), Village-Barawagrada, Buraniya, Devdharam, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP).

The salient features of the projects are as given below:

SN	Information Required	Details

1.	**Project**	
2.	**Project Name**	Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007,
3.	**Activity**	Prior Environment Clearance for Proposed construction of Residential Building Project Under PMAY "Satpura Parisar" in an area of 6.59 ha. (10,8015 Sq.m.) (Khasra No. 242/1, 242/2/1, 424/236/3), Village-Barawagrada, Buraniya, Devdharam, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP) [419718] ***Total Built up Area*** – 10,8015 ***Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
4.	**Area details as per Form - 1**	Total Plot Area : 74989 m2 Total Deductions : 666 m2 Net Plot Area: 54,173 m2 Total Built up Area: 108015.56m2 Greenbelt area : 11181.00 m2 Total Parking: 812 Nos.
5.	**Violation details**	Project Start Year 2017.
6.	**Project Cost**	19,988 Lakh.
7.	**Proposed ToR (Vio.)**	Submitted.
8.	**Lat./Log.**	**Latidude 22°45'44.76"N** **Longitude 75°46'49.60"E**
9.	**Land details**	Collector office, Indore Order No. 300 dated 22/07/2020.
10.	**Building Permission**	Issued by IMC, Indore, 4796 dated 20/02/2019.
11.	**T&CP Permission**	Letter No. 9429 dt. 27/12/2016.
12.	**Water NOC**	Letter No. 9102 dated 28/07/2018.
13.	**MSW NOC**	Letter No. 252/SBM dated 01/08/2018.
14.	**EMP/ Env. Con**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 09/08/ 2024.
15.	**Remediation cost (If any)**	NA (Violation ToR Apply).

The case was presented by PP Shri Abhinav Rai, Asst. Engineer, M/s Indore Municipal Corporation and their Environmental Consultant Shri Pradeep Chandana(online) and, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.). Wherein PP stated that about 70 % project has been completed. During presentation it was observed by the committee that this is a violation project wherein construction of around 70% percent of residential blocks has been completed without prior EC. As per Google image based on coordinates provided by PP it was observed that the proposed township project is is being established at abandoned mined out area. The area is uneven and pits are seen very distinctly. PP stated that conventional raw materials are being used in building construction projects.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.

11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. The area is located in close vicinity of a hill and hence the slope management with provisions for the sensitivity likely to occur due to any expansion in future (if any)

24. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
25. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
26. Maximize proportion of green area.
27. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
28. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
29. समिति की सदस्या डॉ0. श्रीमति रूबिना चौधरी को परियोजना स्थल का भ्रमण कराकर उनके सुझावों को ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
30. जल प्रबंधन एंव भूमि क्षरण के लिये अहिल्या देवी विश्वविद्यालय/ होल्कर कॉलेज के विषय विशेषज्ञों को परियोजना स्थल भ्रमण कराकर उनकी रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
31. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
32. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
33. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
35. परियोजना स्थल सिसमिक जोन III के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
37. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
38. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
39. विगत 02 वर्षो में उक्त योजना में स्वीकृत शर्त वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

22. <u>Case No 10444/2023 Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007. Prior Environment Clearance for Residential Building Project Under PMAY "Palash Parisar Part-2" in an area of 7.665 ha. (107770.16 Sq.m.) (Khasra No. 1001/2, 1020, 1, 4), Village-Machla, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419687] Total Built up Area – 107770.16 Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Residential Building Project Under PMAY "Palash Parisar Part-2" in an area of 7.665 ha. (107770.16 Sq.m.) (Khasra No. 1001/2, 1020, 1, 4), Village-Machla, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419687] Total Built up Area – 107770.16 Sqmt., Cat. 8(a) Building Construction Projects.

The salient features of the projects are as given below:

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/419687/2023.
2.	**Project Name**	Shri Mahesh Sharma, M/S. INDORE MUNICIPAL CORPORATION, Indore Municipal Corporation , 107, 109, First floor Palika Plaza Indore, (M.P.) 452007.
3.	**Activity**	Prior Environment Clearance for Residential Building Project Under PMAY "Palash Parisar Part-2" in an area of 7.665 ha. (107770.16 Sq.m.) (Khasra No. 1001/2, 1020, 1, 4), Village-Machla, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419687] ***Total Built up Area*** – 107770.16 ***Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
4.	**Area details as per Form -1**	Total Plot Area : 76650.00 m2 Area under Road widening – 13215.00 m2 Net Plot Area – 63435.00 m2 Total Built up Area – 107770.16 m2 Greenbelt area – 12052.0 m2. Open Parking –502 Nos. Stilt Parking- 513 Nos. Total Parking- 1015 No
5.	**Violation details**	Project Start Year 2018.
6.	**Project Cost**	19189 Lakh.
7.	**Proposed ToR (Vio.)**	Submitted.
8.	**Lat./Log.**	
9.	**Land details**	Collector office, Indore Order No. 1136 dated 11/09/2018.
10.	**Building Permission**	Issued by IMC, Indore, 1273 dated 07/10/2020.
11.	**T&CP Permission**	Letter No. 10636 dt. 26/12/2018.
12.	**Parking Area.**	Open Parking –502 Nos., Stilt Parking- 513 Nos., Total Parking- 1015 Nos.
13.	**Extra treated water NOC**	PP apply dated 01/06/2023.
14.	Total Water requirement	1055 KLD Fresh water supply - 703 KLD.
15.	**Water NOC**	Letter No. 43 dated 23/02/2019.
16.	**MSW NOC**	Letter No. 1628 dated 14/02/2019.
17.	**Municipal Waste**	1424 TPA.
18.	**E-Waste**	513.19 TPA.
19.	**EMP/ Env. Con**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 09/08/ 2024.
20.	**Green belt Area (sq.**	12052 m2

	m)	
21.	**Remediation cost (If any)**	NA (Violation ToR Apply).

The case was presented by PP Shri Abhinav Rai, Asst. Engineer, M/s Indore Municipal Corporation and their Environmental Consultant Shri Pradeep Chandana(online) and, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.). During presentation it was observed by the committee that this is a violation project wherein construction has made of residential blocks has been completed without prior EC. The area is uneven and pits are seen very distinctly. PP stated that conventional raw materials are being used in building construction projects.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.

6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. The area is located in close vicinity of a hill and hence the slope management with provisions for the sensitivity likely to occur due to any expansion in future (if any)
24. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
25. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
26. Maximize proportion of green area.
27. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
28. Provision of Roof top greening, roof top solar panel installation and electric charging points.
29. समिति की सदस्या डॉ0. श्रीमति रूबिना चौधरी को परियोजना स्थल का भ्रमण कराकर उनके सुझावों को ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
30. जल प्रबंधन एंव भूमि क्षरण के लिये अहिल्या देवी विश्वविद्यालय/ होल्कर कॉलेज के विषय विशेषज्ञों को परियोजना स्थल भ्रमण कराकर उनकी रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
31. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
32. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
33. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
34. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
35. परियोजना स्थल सिसमिक जोन III के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
37. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
38. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
39. विगत 02 वर्षो में उक्त योजना में स्वीकृत शर्त वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

23. Case No 10447/2023 Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007. Prior Environment Clearance for Proposed construction of Residential Building Project Under PMAY "Aravalli Parisar" in an area of 8.027 ha. (81211.655 Sq.m.) (Khasra No. 1/1/1), Village-Bhichaulihapsi Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419611] Total Land Area – 130400.00 sq.mt. Total Built up Area – 81211.655 Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.

This is case of Prior Environment Clearance for construction of Residential Building Project Under PMAY "Aravalli Parisar" in an area of 8.027 ha. (81211.655 Sq.m.) (Khasra No. 1/1/1), Village-Bhichaulihapsi Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419611] Total Land Area – 130400.00 sq.mt. Total Built up Area – 81211.655 Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.

The salient features of projects are as given below:

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/419611/2023.
2.	**Project Name**	Shri Mahesh Sharma, M/S. INDORE MUNICIPAL CORPORATION, Indore Municipal Corporation , 107, 109, First floor Palika Plaza Indore, (M.P.) 452007.
3.	**Total Plot Area**	Prior Environment Clearance for Proposed construction of Residential Building Project Under PMAY "Aravalli Parisar" in an area of 8.027 ha. (81211.655 Sq.m.) (Khasra No. 1/1/1), Village-Bhichaulihapsi Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419611] ***Total Land Area – 130400.00 sq.mt. Total Built up Area – 81211.655 Sqmt., Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
4.	**Area details**	*Total Plot Area: 130400.00 m2* *Area under deduction – 39860.00 m2* *Net Plot Area - 90540 m2* *Total Built up Area – 81211.655 m2* *Greenbelt area – 5390 m2* *Total Parking – 870 Nos.* *Open Parking- 408 Nos* *Stilt Parking- 462 Nos.*
5.	**Violation details**	Project Start Year 2017.
6.	**Project Cost**	15784 Lakh.
7.	**Proposed ToR (Vio.)**	Submitted.
8.	**Lat./Log.**	**Latitude - 22°43'4.73"N**

		Longitude - 75°55'23.33"E
9.	**Land details**	Land Allotment Order No. 853 date 19/10/2016. Land diversion Order date 10/03/2022.
10.	**T&CP Permission**	Letter No. 876 dt. 20/02/2020.
11.	**Water NOC**	Letter No. 9100 dated 28/07/2018.
12.	**MSW NOC**	Letter No. 251/SBM dated 05/08/2018.
13.		PP letter apply dated 01/06/2023.
14.	E-Waste	240 TPA.
15.	**EMP/ Env. Con**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 09/08/ 2024.
16.	**Remediation cost (If any)**	NA (Violation ToR Apply).

The case was presented by PP Shri Abhinav Rai, Asst. Engineer, M/s Indore Municipal Corporation and their Environmental Consultant Shri Pradeep Chandana (online) and Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.). During presentation it was observed by the committee that this is a violation project wherein construction has made of residential blocks has been completed without prior EC. The area is uneven and pits are seen very distinctly. PP stated that conventional raw materials are being used in building construction projects.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.

17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. The area is located in close vicinity of a hill and hence the slope management with provisions for the sensitivity likely to occur due to any expansion in future (if any)
24. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
25. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
26. Maximize proportion of green area.
27. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
28. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
29. समिति की सदस्या डॉ0. श्रीमति रूबिना चौधरी को परियोजना स्थल का भ्रमण कराकर उनके सुझावों को ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
30. जल प्रबंधन एंव भूमि क्षरण के लिये अहिल्या देवी विश्वविद्यालय/ होल्कर कॉलेज के विषय विशेषज्ञों को परियोजना स्थल भ्रमण कराकर उनकी रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
31. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करे।
32. रहवासियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित घ्यान रखा जायें।
33. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एंव 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।

34. भवन के अंदर प्रकाश एंव हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
35. परियोजना स्थल सिसमिक जोन III के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
36. 02 साल का मेनन्टेनेंस (लिफ्ट , बस फैसेलिटिस आदि) लोगो की संख्या को ध्यान में रखतें हुये ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
37. स्कूलो के अद्योसंरचना विकास को सी.आर. योजना में शामिल करें।
38. जहां जहां कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया है, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्कीम/प्रजाति सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट मे समाहित करें।
39. विगत 02 वर्षो में उक्त योजना में स्वीकृत शर्त वृक्षारोपण एवं CER के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

24. <u>Case No 10360/2023 Shri Tulsiram Gound, Quarry Owner, R/o Village-Hathkhoh, Tehsil-Deori, District-Sagar (MP)-470226, Prior Environment Clearance for Chevala Stone, M-Sand & Murrum Quarry in an area of 1.80 ha. (Stone-8957, M-Sand-8957, Murrum-6493 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Chhewala, Tehsil-Deori, District-Sagar (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री तुलसीराम गोड़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri TULSIRAM GOUND, QUARRY OWNER, Village Hathkhoh, Tehsil Deori, District - Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.80 hectare.
स्थल	Village Chevala, Teshil Deori, District Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 23/09/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–15 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–8,957 घनमीटर/वर्ष, एम–सेंड–8,957 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम– 6,493 घनमीटर/ वर्ष, हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–8,957 घनमीटर/वर्ष,	

	एम–सेंड–8,957 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम–6,493 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 24/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.60 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 24/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 24/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि के अंदर कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चीमाढाना जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/04/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा– पक्का रोड़– 511 मी.
	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड़– 50मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 612 दिनांक 01/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, उसमें उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा– पक्का रोड़– 511 मी. एवं पश्चिम दिशा– कच्चा रोड़– 50मी. की दूरी पर स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

25. <u>Case No 10380/2023 Shri Anil Gupta, Partner, M/s Drishti Mining, E-7/626, Arera Colony, R.S. Nagar, Huzur, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Sabdalpur Quartz & Feldspar Mine in an area of 6.475 ha. (95,000 TPA) (Khasra No. 210, 211, 212, 213, 214, 222), Village- Sabdalpur, Tehsil-Datia, District-Datia (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल गुप्ता, पार्टनर, मे0. दृष्टि माइनिंग एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परि./कम्पनी/संस्थान का नाम व पता	Shri Anil Gupta, Partner, M/s Drishti Mining, E-7/626, Arera Colony, R.S. Nagar, Huzur, District-Bhopal (MP)-462016, E-mail-drishtimining302@gmail.com, Mobile-9826025311, Prior Environment Clearance for Sabdalpur Quartz & Feldspar Mine in an area of 6.475 ha. (95,000 TPA) (Khasra No. 210, 211, 212, 213, 214, 222), Village-Sabdalpur, Tehsil-Datia, District-Datia (MP) [439173]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	210, 211, 212, 213, 214, 222, ग्राम – सबदलपुर, तहसील – दतिया, जिला – दतिया (म.प्र.),	6.475 हेक्टेयर (शासकीय भूमि)
परियोजना की श्रेणी	बी–1 श्रेणी,	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Quartz & Feldspar - 95,000 TPA** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **Quartz & Feldspar - 95,000 TPA** हेतु स्वीकृत है।	

सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 9017 दिनांक 23/12/2022. (दि0.11/01/1996 से 10/01/2046),
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 605 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.475 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 605 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 605 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत **की अनापत्ति के संबंध मे आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है, कि वह ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान जमा करा दी जावेगी।**
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित हैं, खदान में से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है एवं आंशिक रूप से खुदा हुआ हैं, जिसके शीर्ष पर मंदिर हैं।
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला 375 मी. एवं आबादी 275 मी.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित हैं, अतः सरफेस रन ऑफ स्टडी ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. खदान में से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है एवं आंशिक रूप से खुदा हुआ हैं, जिसके शीर्ष पर मंदीर हैं। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला 375 मी. एवं आबादी 275 मी.. की दूरी पर स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ग्राम पंचायत की अनापत्ति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

26. <u>Case No 9831/2023 Shri Sachin Malviya, Lessee, R/o Bokarata, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)-488441, Prior Environment Clearance for Budi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 216) Village-Budi, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)</u>

प्रकरण में समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें वर्ष 2021 के बाद की गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य प्रारंम्भ किया जाना प्रतीत हो रहा है जिस संदर्भ में **परियोजना प्रस्तावक बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 31/05/2016 को जारी हुई है एं**व खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तो के अनुसार पौधारोपण होना चाहिऐ था, प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पौधारोपण की शर्तो का पलान नही किया गया है । **डिया से जारी हुई पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त कमांक 11 में जिसमें सी.ई.आर. संबंधी कार्य किये जाने थे उनका भी पालन नही हुआ है अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि** ई.सी. शर्तो के अनुसार पौधे लगाने चाहिए जिनका पालन प्रतिवेदन एवं **सी.ई.आर. संबंधी किये गये कार्यो की दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ संशोधित फार्म–1 सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रकरण नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे **आज दिनांक 02/09/23 को समिति के समक्ष रखा गया**, जिसमें परियोजना

प्रस्तावक श्री सचिन मालवीय ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दोरान समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है । परिक्षण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक को वितरण आदि मिलाकर कुल 1200 पौधे लगाये जाने थे। अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये।

- सम्पूर्ण खदान क्षेत्र दिखातें हुये ड्रोन फोटोग्राफी जिससे की किये गये वृक्षारोपण एवं फैन्सिंग की चारो ओर की पुष्टी हो सकें।
- कुल 1200 पौधे लगाये जाने है अतः 750 पौधे खदान क्षेत्र में एवं 550 पौधे वितरण करें, जिसमें प्राप्तकर्ता के नाम, मोबाईल न0 आदि प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।
- सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

27. <u>Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/2022 में टॉर वॉयलेशन (TOR-Violation) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रकरण समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतकरण हुआ था, जिसमें प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022 के माध्यम से स्थल निरीक्षण प्रविदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है पट्टेदार द्वारा यह बताया गया कि उक्त उत्खनन् नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुतीकरण के पूर्व स्वीकृत अवधि 25/09/2008 से 24/09/2018 तक के दौरान उक्त सूचना क्षेत्र पर उत्खनन् किया गया खसरा न. 499 पर अन्य खदाने संचालित हो रही है ग्राम घटहरी, तहसील – गौरीहार, जिला छतरपुर के खसरा न. 499 पर खनन कार्य किया जा रहा है । प्रस्तुत विवरण (पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022) में मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का भी नाम अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि खनन् कार्य सतत् जारी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा

कोई खनन् कार्य नही किया गया है । अतः संबंधित खनिज अधिकारी परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट के खनन् संचालन अवधि (25/09/2008 से 24/09/2018) का पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । खसरा न. 499 अन्य प्रचलित खदानो में चेनलिंग फेसिंग आदि का कार्य दृष्टिगत नही हो रहा है, अतः संबंधित खनिज अधिकारी मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का जांच प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी समिति को प्रस्तुत करने हेत अतिरिक्त समय चाहा गया था, जिसे समिति मान्य करते हुए समिति की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को अतिरिक्त 15 दिवस का समय प्रदान किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 में चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 02/09/23 को रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चंद्र गुप्ता एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में किये गये खनन् के संबंध में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया एवं खनिज अधिकारी के पत्रों में भी पूर्व में किये गये खनन के संबंध में स्पष्ट लेख नहीं है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि वायलेशन केस के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार (एस.ओ.पी) रेमेडिएशन प्लान एवं अगमेन्डेशन प्लान प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

28. <u>Case No 10129/2023 Shri Ramprakash Dwivedi, Partner, M/s Anant Infratech R/o Nehru Nagar, District-Rewa (MP)-486005, Prior Environment Clearance for Sitapur Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-30,000, M-Sand-40,000 cum per year) (Khasra No. 418), Village-Sitapur, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक ने समिति को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 31/08/2023 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/2023 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित एसईआईएए को प्रेषित किया गया है, जिमसें पत्थर–30,000 मी^{3} प्रति वर्ष है जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में पत्थर–30,300 मी^{3} प्रति वर्ष है, के अनुसार शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है। अतः चर्चा उपरांत समिति ने अपनी पूर्व की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/2023 को पर्यावरणीय स्वीकृति

हेतु अनुशंसित पत्थर–30,000 मी^{3} प्रति वर्ष के स्थान पर पत्थर–30,300 मी^{3} प्रति वर्ष वर्ष पढ़ा जावें, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

- **पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तो के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तो का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तो का परिपालन में देखना होगा।**
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) from the river…….bank shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

(चंद्र मोहन ठाकुर)	**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।